

07/12/2021 प्राथमिकी की क्षति से बचाने के लिए वाद पत्र में प्रार्थना  
 पत्र प्रस्तुत कर वादपत्र प्रत्याहति करने हेतु निवेदन किया  
 जाने पर पत्रावली केशी में ली गई। चुंडी द्वारा वाद  
 पत्र प्रत्याहति किया जा चुका है, लिहाज प्रार्थना  
 पत्र अध्यापिका विवेचना पर सुनवाई किये जाने का  
 कोई आश्वासन नहीं। लिहाज पत्रावली की  
 क्रमवही रही है पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली  
 क्रमवही युक्त व दुरुपस्थित जे कर दोष  
 दाखिल किया है।

अ. नि.  
 सुनवाई  
 पत्रावली  
 सुनवाई

उपसचिव अधिकारी  
 खतड़ी (सुनवाई)

